...ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

3/12/22

तारीख रजू..............................

दातारम बनाम तहसीलदार साहब कठूमर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/22	वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना-पत्र धारा 128 LRA प्रार्थी के ओर से श्री कृपादयाल राजपूत 58 ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रा० पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23/6/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/6/22	बवजह कैरोकेन पी.ओ./P.O. हुक्म R.O. Meeting Allure पत्रावली दिनांक 4/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4/8/22	बवजह कैरोकेन पी.ओ./P.O. हुक्म [illegible] पत्रावली दिनांक 13/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/10/22	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। ...विक आदेश दिनांक ...3/6/22 की पालना में पत्रावली वास्ते ...तलबी दिनांक 15/11/22 .... को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/11/22	वकील प्रार्थी / सरकार पैरोकार उप० / सरकार पैरोकार ने जवाब प्रेषित किया, साथ लिए किया गया। पत्रावली पर बहस वकील प्रार्थी व सरकार पैरोकार की सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहका… की ता…
18/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / सरकार पैरोकार उपस्थित पत्रावली के समस्त प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड पैमाइश रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया जाकर पत्रावली में मल [illegible] [illegible] बाद तकमील जिला अभिलेखागार [illegible] [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज॰	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखन सिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 12 / 2022

वउनवान

1. दाताराम पुत्र बोलाराम जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री कृपादयाल गुर्जर एडवोकेट–अधिवक्ता प्रार्थीयान

आदेश दिनांक 18.11.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2024 / 1817 रकवा 0.30हे. 2033 / 1820 रकवा 0.32 हे. ग्राम सौखर तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी की सीमायें हो रही है लेकिन उक्त आराजी की सीमायें खुली होने अथवा तारबन्दी व पत्थरगढी नहीं होने के कारण पडौसी खातेदार ताकत के बल पर प्रार्थी को परेशान करते है। ताकत के वल पर उक्त आराजी की डोलों को तोड कर उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है कुछ जमीन दवा भीली है। इस वजह से प्रार्थी उक्त आराजी की पैमाइस कराकर व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी नियमानुसार राजकोष में राशिजमा करा कर सीमा ज्ञान व पत्थर गढी करा सकते है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम सौंखर पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्वरेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार को सुना। मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 2024/1817 रकवा 0.30हे. 2033/1820 रकवा 0.32 हे. ग्राम सौखर तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने पडौसी काश्तकारों द्वारा उक्त आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व जवरन कब्जा करने की धमकी देने का कथन किया है। जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइस कराने व सीमाज्ञान के पश्चात व सीमाज्ञान को ध्यान में रखते हुये पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाव मे कथन किया कि नियमानुसार पैमाइस शुल्क जमा कराने पर प्रार्थी पैमाइस व पत्थरगढी कराने का अधिकार रखता है।पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की वहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर2024/1817 रकवा 0.30हे. 2033/1820 रकवा 0.32 हे. ग्राम सौखर तहसील कठूमर से फसल कटने के वाद विधि अनुंसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल होकर नम्बर से कम हो।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखन सिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)